संख्या-776/दो-4-2019-45(3)/2015

प्रेषक

अरविन्द मोहन चित्रांशी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

नियुक्ति अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 17 दिसम्बर, 2019

विषयः- उ0प्र0 के न्यायिक अधिकारियों को 30 प्रतिशत अंतरिम राहत स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशक, पेंशन निदेशालय, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि रिट याचिका संख्या-(सिविल) 643/2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसियेशन बनाम भारत सरकार व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-27-03-2018 के अनुपालन में उ0प्र0 के न्यायिक अधिकारियों को उनके मूल वेतन का 30 प्रतिशत अंतरिम राहत दिनांक 01-01-2016 से अनुमन्य करते हुए उसका नकद भुगतान तथा दिनांक 01-01-2016 से 30-04-2018 तक के एरियर का भुगतान दिनांक 30-06-2018 से पूर्व सुनिश्चित किये जाने की स्वीकृति शासनादेश संख्या-640/दो-4-2018-45(3)/2015, दिनांक 11-06-2018 द्वारा प्रदान की गयी है। चूँकि अन्तरिम राहत की पेंशन हेतु मूल वेतन के रूप में गणना वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम- 9(21) में स्वतः सम्मिलित नहीं होती है। अतः उ0प्र0 राज्य न्यायिक सेवा के दिनांक-01-01-2016 के बाद सेवानिवृत्त अधिकारियों को उपरोक्त शासनादेश का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अतः निदेशक, पेंशन निदेशालय, लखनऊ द्वारा दिनांक-01-01-2016 के बाद सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन 30 प्रतिशत अंतरिम राहत के आधार पर अनुमन्य किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-640/दो-4-2018-45(3)/2015, दिनांक 11-06-2018 के संदर्भ में आदेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया।

2- उक्त के संदर्भ में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अंतरिम राहत वेतन संशोधन की प्रत्याशा में अनुमन्य की जाती है तथा वेतन संशोधन में सम्मिलित कर ली जाती है। अतः वेतन एवं उस पर अनुमन्य अंतरिम राहत को जोड़कर पेंशन एवं सेवानैवृत्तिक लाभ स्वीकृत किये जाने में कठिनाई नहीं है। यह आदेश वेतन संशोधन संबंधी अन्तिम आदेश निर्गत होने की प्रत्याशा में इस प्रतिबन्ध के साथ निर्गत किये जा रहे हैं कि भविष्य में वेतन संशोधन संबंधी अन्तिम आदेश निर्गत होने पर यथेष्ट समायोजन कर लिया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-सा-3-1064/दस-2019, दिनांक 06-12-2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरविन्द मोहन चित्रांशी)
विशेष सचिव।

2312-19

संख्या- 776(2)/दो-4-2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।

(सुशील कुमार पाण्डेय)
निजी सचिव
प्रमुख सचिव
न्याय एवं विधि परामर्शी
उ0 प्र0 शासन
G.O. Janral

Scanned with CamScanner